रक्षा मंत्रालय

रक्षा (एएफटी प्रकोष्ठ)

विषयः सशस्त्र सेना अधिकरण के प्रशासनिक सदस्यों का चयन।

सशस्त्र सेना अधिकरण में प्रशासनिक सदस्यों की छः रिक्तियों को भरने के लिए, नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार सेना, नौसेना, वायु सेना के सेवारत अथवा चिकित्सकीय रूप से फिट सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते है, जिनके निकट भविष्य में आने की संभावना है।

2. 01.06.2017 को जीएसआर 514 (ई) के तहत अधिसूचित "अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (योग्यता, अनुभव और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2017" के नियम 9 की अनुसूची 18(3) में यह प्रावधान है कि:-

"कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं होगा, जब तक वहः-

(क) सेना में मेजर जनरल रैंक अथवा उससे ऊपर अथवा नौसेना अथवा वायु सेना में समकक्ष रैंक पर कम-से-कम तीन वर्षों की कुल अवधि हेतु पद पर धारित रहे हों अथवा पद पर हों, अथवा

(ख) सेना अथवा नौसेना अथवा वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल के रूप में कम-से-कम एक वर्ष की सेवा की हो और क्रमशः मेजर जनरल, कमोडोर और एयर कमोडोर के रैंक से कम न हो, अथवा

(ग) वह व्यक्ति योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित होना चाहिए और उसे अर्थशास्त्र, बिजनेस, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखांकन, प्रबंधन, उद्योग, लोक मामले, प्रशासन में कम-से-कम बीस वर्षों का विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव हो अथवा अन्य किसी मामले, जो कि केन्द्र सरकार की राय में सशस्त्र सेना अधिकरण के लिए उपयोगी हो, का ज्ञान हो।

3. उसी नियम की उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार सदस्य की पदावधि तीन वर्ष हेतु और सदस्यों द्वारा पद ग्रहण करने की अधिकतम आयु 65 वर्ष है।

4. एएफटी के सदस्यों का वेतन, भत्ते, अन्य नियम और शर्तें, सशस्त्र सेना अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55), वित्त अधिनियम 2017 (2017 का 7), अधिकरण, अपीलीय अधिकरण और अन्य प्राधिकरणों (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2017 द्वारा यथा-संशोधित और समय-समय पर बनाए गए अन्य नियमों के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे।

5. चयनित व्यक्ति की नियुक्ति अखिल भारतीय स्थानांतरण के अधीन होगी और इन्हें भारत में जहां भी सशस्त्र बल अधिकरण की पीठ होगी, तैनाती दी जा सकती है।

6. सशस्त्र बल अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य के पद हेतु निम्नलिखत श्रेणियों से जुड़ी सूचना ओर सामग्री निर्धारित प्रारूप में आवेदन/जीवन-वृत्त के साथ संलग्न करना आवश्यक है :-

(i) सेना, नौसेना और वायु सेना : आवेदक द्वारा अपनी सेवा अवधि के दौरान अनुशासनात्मक मामलों में दिया गया कोई निर्णय/आदेश और यदि यह उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ii) अन्य : आवेदक के व्यावसायिक क्षेत्र में विशेषज्ञता से संबंधित विस्तृत सूचना/उपलब्धि, जो कि सशस्त्र बल अधिकरण के लिए लाभप्रद हो।

7. पात्र अधिकारी उपरोक्त पैरा 6 में वर्णित ब्यौरों के अनुसार, यदि कोई हों, और निर्धारित प्रारूप में अपने जीवन-वृत्त के साथ अपने आवेदन सीधे अथवा संबंधित सेवा मुख्यालयों/कार्यालयों के द्वारा रक्षा मंत्रालय में 8 सितंबर, 2017 तक निम्नलिखित पते पर अग्रेषित कर सकते हैं :-

श्री श्रीनाथ चौहान,
अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेना अधिकरण प्रकोष्ठ,
कमरा संख्या 308-ए, "बी" विंग, सेना भवन,
नई दिल्ली-110011.

8. इस मंत्रालय में सेवा चैनलों/कार्यालयों के माध्यम से देय तिथि के पश्चात् प्राप्त नामांकनों/आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एस.के.मोहन्ती

(एस.के.मोहन्ती)
उप सचिव (एजी-II)
टेलीफैक्स: 23011593

<u>अध्यक्ष, सीओएससी</u>

रक्षा मंत्रालय आईडी संख्या 3(3)/2016-रक्षा(एएफटी प्रकोष्ठ), दिनांक 20.07.2017

प्रतिलिपि: एजी
सीओपी
एओपी
एमएस (एक्स)

} योग्य अधिकारियों/सेवानिवृत्त अधिकारियों तक वृहत् रूप से प्रचारित करने के आग्रह के साथ।

प्रति प्रेषितः-

1. प्रधान रजिस्ट्रार, एएफटी	-	एएफटी वेबसाइट पर रिक्त पद अपलोड करने हेतु परिपत्र
2. निदेशक (एनआईसी/रक्षा मंत्रालय)	-	रक्षा मंत्रालय वेबसाइट पर रिक्त पद अपलोड करने हेतु परिपत्र

सशस्त्र बल अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य के पद हेतु जीवन-वृत्त

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. शैक्षिक योग्यता

4. (क) अकादमिक योग्यता:

क्रम सं.	विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांकों का प्रतिशत	विषय

4. (ख) विधि योग्यता, यदि कोई हो :

4. (ग) प्रबंधकीय योग्यता :

5. कमीशनिंग की तारीख : { परिपत्र के पैरा 2(क) और 2(ख) में वर्णित आवेदकों हेतु}

6.(क) सेवा में शामिल होने के पश्चात् धारित पदों के ब्यौरे :

क्रम संख्या	धारित पद	वेतन-मान	अवधि (.... से .....तक)	रैंक

6.(ख) अवार्ड :

6.(ग) प्रशिक्षण :

7. वर्तमान /अंतिम धारित पद का पदनाम :

8. वेतनमान (वर्तमान/अंतिम) :

9. अधिवर्षिता की तारीख :

10. कार्यालय का पता, दूरभाष संख्या के साथ :

11. घर का पता, दूरभाष संख्या के साथ:

12. प्रशासनिक, विधायी और अर्ध-न्यायिक अनुभव के ब्यौरों में निम्न प्रत्येक विषय हेतु 50 शब्दों से अधिक न हो (अलग-से शीट संलग्न की जा सकती है) :

(क) सैन्य उपलब्धियां :
(ख) संक्रियात्मक प्रबंधन :
{परिपत्र के पैरा 2(क) और 2(ख) में वर्णित आवेदकों हेतु}

(ग) प्रशासनिक अनुभव :

(घ) विधायी और अर्ध-न्यायिक अनुभव :

13. विगत 10 वर्षों के दौरान सेना, विधायी और अर्ध-न्यायिक मामलों के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों का उल्लेख करें (100 शब्दों से अधिक न हो) :

14. अर्थशास्त्र, बिजनेस, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखा-शास्त्र, प्रबंधन, उद्योग, लोक मामले, प्रशासन अथवा सशस्त्र सेना अधिकरण के लिए उपयोगी अन्य किसी मामले में विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव (बीस वर्ष से कम न हो) के ब्यौरे (100 शब्दों से अधिक न हो) के ब्यौरे (100 शब्दों से अधिक न हो) {परिपत्र के पैरा 2(ग) में वर्णित आवेदकों हेतु}

उपरोक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है।

नोटः कॉलम 13 और 14 में ब्यौरे नहीं देने के परिणामस्वरूप आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम--------------------------------

स्थानः

दिनांकः